



सत्यमेव जयते

बाल कल्याण समिति कोरिया

(न्यायपीठ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट)

महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन भारत

कार्यालय- कलेक्टर कार्यालय के पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग परिसर जिला कोरिया छ0ग0

दूरभाष नम्बर:-07836- 233488 ई.मेल आईडी cwckoriya@gmail.com

क्रमांक / 338 / बा0क0स0 / 2024 /

बैकुण्ठपुर दिनांक 08 / 06 / 2024


प्रति,

थाना प्रभारी
थाना बैकुण्ठपुर
जिला - कोरिया (छ.ग.)

विषय:- पीड़ित बालिका सुजिला सिंह पिता सुरीत सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी तामडांड थाना बैकुण्ठपुर के संबंध में।

विषयातर्गत लेख है कि बाल कल्याण समिति का प्रकरण क्रमांक 71/2024 दिनांक 27.05.2024 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिका सुजिला सिंह पिता सुरीत सिंह उम्र 14वर्ष पता तामडांड थाना बैकुण्ठपुर को प्रस्तुत किया गया। जिसमें बालिका के द्वारा समिति में अपने साथ किसी प्रकार का गलत होना नहीं बताया गया परंतु पिता के द्वारा बताया गया कि बालिका समय लाल निवासी सिंघत(दुग्गी) तह. खडगवा के द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया बालिका को परिजनों के द्वारा सुपुर्दगी में लेने से इंकार किया गया तत्पश्चात् बालिका को बाल गृह(बालिका) अम्बिकापुर जिला-सरगुजा के संरक्षण में रखा गया संस्था में बालिका का कार्डसलिंग किया गया साथ ही मेडिकल जांच कराया गया जिसमें बालिका एकमाह की गर्भ से पाया गया बालिका के द्वारा बताया गया कि समयलाल पता सिंघत(दुग्गी) तह. खडगवा एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा बालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है जिससे बालिका गर्भ से है।

उक्त प्रकरण में विधिनुसार जांच कर कार्यवाही कर साथ ही बाल कल्याण समिति को प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें।



श्रीमती मंजू जैन

बैकुण्ठपुर दिनांक 08 / 06 / 2024
बाल कल्याण समिति
जिला-कोरिया (छ.ग.)

पृ0क्र0 / 339 / बा0क0स0 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति जिला कोरिया को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक सह सदस्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति जिला कोरिया को सादर सूचनार्थ।
3. जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई जिला कोरिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधीक्षक/ मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद बालगृह (बालिका) अम्बिकापुर जिला सरगुजा को आवश्यक कार्यवाही
5. पालक सुरीत सिंह (पिता) पता तामडांड को आवश्यक कार्यवाही।


श्रीमती मंजू जैन
सदस्य
बाल कल्याण समिति
जिला-कोरिया (छ.ग.)

प्रारूप 23
{{नियम 19(22)}}
बालक को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन

सेवा में

अध्यक्ष / सदस्य
बाल कल्याण समिति
जिला कोरिया छ.ग.


मैं/हम **सुरीत सिंह** (आवेदक/को. का नाम) पिता (बालक के साथ सबध) उम्र 14 वर्ष की आयु के हैं का अभिप्राय बाल कल्याण समिति के समक्ष **सुजीता सिंह** (बालक का नाम) को अभ्यर्पित करने का है, क्योंकि **पालन पोषण करने में असमर्थ** (अभ्यर्पण के कारण)

मुझे/हमें पूरा संज्ञान है और बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं **सुजीता सिंह** (बालक का नाम) सिक अभ्यर्पित करने के निर्णय के लिए मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है अथवा अनुचित रूप से प्रभावित नहीं किया है। यदि बच्चे को दत्तकग्रहण के लिये दे दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बालक को अभ्यर्पित करने के परिणामों से मैं पूरी तरह अवगत हूँ।

२८/०५/२४ (१२/३/११)
(आवेदक के पूरे हस्ताक्षर)

नाम तथा पता
सुरीत सिंह पिता बालक का नाम
पता तामडाड थाना बकुण्डपुर जिला कोरिया छ.ग.

तारीख 28/05/2024
समय 4:45
स्थान बकुण्डपुर



श्रीमती मंजू जैन
अध्यक्ष सदस्य
बाल कल्याण समिति
जिला कोरिया (छ.ग.)

प्रारूप 23
[[नियम 19(22)]]
बालक को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन

सेवा में,
अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति
जिला कोरिया छ.ग.


मैं/हम सुरीत सिंह (आवेदक/कों, का नाम) पिता (बालक के साथ संबंध) उम्र 14 वर्ष की आयु के हैं का अभिप्राय बाल कल्याण समिति के समक्ष सुजीता सिंह (बालक का नाम) को अभ्यर्पित करने का है, क्योंकि पालन पोषण करने में असमर्थ (अभ्यर्पण के कारण)

मुझे/हमें पूरा संज्ञान है और बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं, सुजीता सिंह (बालक का नाम) सिक अभ्यर्पित करने के निर्णय के लिए मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है अथवा अनुचित रूप से प्रभावित नहीं किया है। यदि बच्चे को दत्तकग्रहण के लिये दे दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बालक को अभ्यर्पित करने के परिणामों से मैं पूरी तरह अवगत हूँ।


(आवेदक के पूरे हस्ताक्षर)

नाम तथा पता
सुरीत सिंह पिता कल्याण सिंह उम्र 40 वर्ष
पता तामडांड थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग.

तारीख 28.05.2024
समय 4.45
स्थान बैकुण्ठपुर


श्रीमती मंजू जैन
अध्यक्ष सदस्य
बालक कल्याण समिति
जिला-कोरिया (छ.ग.)
जिला कोरिया छ.ग.



बाल कल्याण समिति कोरिया

(न्यायपीठ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट)

महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन भारत

कार्यालय- कलेक्टर कार्यालय के पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग परिसर जिला कोरिया छ0ग0

दूरभाष नम्बर:-07836- 233488 ई.मेल आईडी cwekoriya@gmail.com

क्रमांक / 338 / बा0क0स0 / 2024 /

बैकुण्ठपुर दिनांक 08 / 06 / 2024

प्रति,

थाना प्रभारी
थाना बैकुण्ठपुर
जिला - कोरिया (छ.ग.)

विषय:- पीड़ित बालिका सुजिला सिंह पिता सुरीत सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी तामडांड थाना बैकुण्ठपुर के संबंध में।


विषयातर्गत लेख है कि बाल कल्याण समिति का प्रकरण क्रमांक 71 / 2024 दिनांक 27.05.2024 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिका सुजिला सिंह पिता सुरीत सिंह उम्र 14 वर्ष पता तामडांड थाना बैकुण्ठपुर को प्रस्तुत किया गया। जिसमें बालिका के द्वारा समिति में अपने साथ किसी प्रकार का गलत होना नहीं बताया गया परंतु पिता के द्वारा बताया गया कि बालिका समय लाल निवासी सिंघत(दुग्गी) तह. खडगवा के द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया बालिका को परिजनों के द्वारा सुपुर्दगी में लेने से इंकार किया गया तत्पश्चात् बालिका को बाल गृह(बालिका) अम्बिकापुर जिला-सरगुजा के संरक्षण में रखा गया संस्था में बालिका का कार्डसलिंग किया गया साथ ही मेडिकल जांच कराया गया जिसमें बालिका एकमाह की गर्भ से पाया गया बालिका के द्वारा बताया गया कि समयलाल पता सिंघत(दुग्गी) तह. खडगवा एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा बालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है जिससे बालिका गर्भ से है।


उक्त प्रकरण में विधिनुसार जांच कर कार्यवाही कर साथ ही बाल कल्याण समिति को प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें।

पृ0क्र0 / 339 / बा0क0स0 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति जिला कोरिया को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक सह सदस्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति जिला कोरिया को सादर सूचनार्थ।
3. जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई जिला कोरिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधीक्षक/ मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद बालगृह (बालिका) अम्बिकापुर जिला सरगुजा को आवश्यक कार्यवाही
5. पालक सुरीत सिंह (पिता) पता तामडांड को आवश्यक कार्यवाही।


श्रीमती मंजू जैन
बैकुण्ठपुर दिनांक 08 / 06 / 2024
बाल कल्याण समिति
जिला-कोरिया (छ.ग.)


श्रीमती मंजू जैन
सदस्य
बाल कल्याण समिति
जिला-कोरिया (छ.ग.)



बाल कल्याण समिति कोरिया

(न्यायपीठ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट)

महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन भारत

कार्यालय- कलेक्टर कार्यालय के पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग परिसर जिला कोरिया 49090
दूरभाष नम्बर- 07836- 233488 ई मेल आईडी cwckorisa@gmail.com

क्रमांक / 400 / बा0क0स0 / 2024 /

बैकुण्ठपुर दिनांक 03.07.2024

प्रति,

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
जिला बाल संरक्षण इकाई
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला कोरिया (छ.ग.)

विषय- कु. सुजिला सिंह पिता सुरीत सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी तामडांड थाना बैकुण्ठपुर की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सामाजिक बैठक आयोजित करने के संबंध में।

विषयातर्गत लेख है कि बाल कल्याण समिति का प्रकरण क्रमांक 71/2024 पीडिता कु. सुजिला सिंह पिता सुरीत सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी तामडांड थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया बाल कल्याण समिति में दिनांक 27.05.2024 को प्रस्तुत हुई है। बालिका समिति में पुनः दिनांक 08.06.2024 को कथन लेखबद्ध किया गया जिसमें ग्रामीणवासी पीडित एवं उसके परिवार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कराया गया है एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सरपंच सह अध्यक्ष बाल संरक्षण समिति ग्राम पंचायत तामडांड थाना बैकुण्ठपुर के अध्यक्षता में सामाजिक बैठक कर बालिका एवं परिजनों को सामाज में सम्मिलित कराये जाने की कार्यवाही किया जाये।

श्रीमती मंजू जैन
सदस्य

बाल कल्याण समिति 03.07.2024
जिला-कोरिया (छ.ग.)

पृ0क्र0 / 401 / बा0क0स0 / 2024

प्रतिलिपि-

1. कलेक्टर (सह) अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति जिला कोरिया को सादर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर जिला कोरिया को सूचनार्थ।
3. थाना प्रभारी थाना बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ एवं बैठक में शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु आदेशित।
4. सरपंच/अध्यक्ष ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति ग्राम तामडांड थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया को बैठक विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित।
5. पालक श्री सुरीत सिंह को बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ एवं आदेशित।

श्रीमती मंजू जैन
सदस्य

बाल कल्याण समिति
जिला-कोरिया (छ.ग.)



बाल कल्याण समिति कोरिया
न्यायपीठ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदत्त शक्तियां)

महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन भारत
कार्यालय- महिला एवं बाल विकास विभाग कोरिया, ई.मेल आईडी ewckoriya@gmail.com

क्रमांक / 435 / बा0क0स0 / 2024 /
प्रति

दिनांक 16 / 07 / 2024

सिविल सर्जन
जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर
जिला कोरिया (छ.ग.)

विषय- बालिका कु सुजिला सिंह पिता सुरीत सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी तामडाड थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ ग का सम्पूर्ण जांच कर उचित इलाज करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बाल कल्याण समिति का प्रकरण क्रमांक 71/2024 पीडित बालिका कु सुजिला सिंह पिता सुरीत सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी तामडाड चौकी बचरापोडी थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ ग के निवासी है जिसे पुलिस थाना बैकुण्ठपुर से प्रस्तुत किया गया है। बालिका वर्तमान में नाबालिक है जिसे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है। समिति में बालिका के कथन एवं काउंसलिंग अनुसार लगभग 03 माह की गर्भवती है तथा वह शारीरिक रूप से कमजोर लग रही है। बालिका बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है।

प्रकरण की गंभीरता एवं बालिका की स्थिति को देखते हुए इस न्यायपीठ में बालिका के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया है कि उसके परिपालन में लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण नियम 2012 के 5(3) एवं 5(4) एवं 5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 की नियम 6 चिकित्सीय सहायता एवं देखरेख गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 (The Medical Termination of pregnancy) Act 1971 के धारा 3 को दृष्टिगत रखते हुए पीडित बालिका की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा बालिका एवं परिवार के सहमति के आधार पर नियमानुसार उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ दे एवं चिकित्सीय सेवा प्रदान किये जाने के दौरान संग्रह किये गये कोई भी फॉरेंसिक प्रमाण आवश्यक रूप से पोक्सो एक्ट की धारा 27 के अधीन संग्रह किए जाने चाहिए तथा समिति को प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें।

पृ0क्र0 / 436 / बा0क0स0 / 2024
प्रतिलिपि:-

श्रीमती मजू
सदस्य
दिनांक 16 / 07 / 2024
जिला-कोरिया (छ.ग.)

1. कलेक्टर (सह) अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति जिला कोरिया को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय जिला कोरिया को सूचनार्थ।
3. जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई जिला कोरिया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति का प्रावधान किया गया है जिसमें पीडित बालिका को सहयोग प्रदान किया जाना है अवगत हो कि नियम 4 देखरेख एवं संरक्षण की उप नियम 7 से उपनियम 12 तक सहायक व्यक्ति के कर्तव्य के संबंध में उल्लेख किया गया है उक्त प्रकरण में बालिका को सहायक व्यक्ति प्रदान किया जाये व सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् समस्त दस्तावेजों कार्यवाहियों का प्रतिवेदन एवं दूरभाष के माध्यम से फालोअप कर सप्ताह में समिति में देना सुनिश्चित करेंगे।
4. थाना प्रभारी थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ ग को बालिका का समूचित उपचार कराने तथा फॉरेंसिक प्रमाण आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने हेतु आदेशित।
5. पालक सुरीत सिंह (पिता) पता तामडाड चौकी बचरापोडी थाना बैकुण्ठपुर को पालनार्थ एवं सूचनार्थ।

श्रीमती मजू
सदस्य
बाल कल्याण समिति
जिला-कोरिया (छ.ग.)



CHILD WELFARE COMMITTEE, KOREA
[BENCH OF MAGISTRATES]

Dept. of Women and Child Development Government of Chhattisgarh, India.
Near woman and child office Baikunthpur Korea. Email Id cwckoriya@gmail.com

ORDER
JUVENILE JUSTICE (CARE & PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015
FORM 18

[Rules 18 (5), 18 (9) and 19 (26)]
ORDER OF PLACEMENT OF A CHILD IN AN INSTITUTION
(Children's Home/Fit Facility/SAA)

DISPECH --- 296 ---

CWC-Case No 71/2024


प्रति,

प्रभारी अधिकारी
बालगृह (बालिका) मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद
अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.

जबकि बाल कल्याण समिति, कि शोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत देख-रेख और बचाव अधीन कु. सुजीता सिंह (बालक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री सुरीत सिंह आयु 14 वर्ष निवासी तामडांड थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग. को दिनांक 28.05.2024 से दीर्घ अवधि के लिए, बालगृह/एसएए/उपयुक्त सुविधा बालगृह (बालिका) मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. में रखने का आदेश जारी करती है।

उपर्युक्त आदेश का कानूनानुसार अनुपालनार्थ, आपको कथित बालक को अपने प्रभार (उत्तरदायित्व) में लेने तथा उसे बालगृह/उपयुक्त सुविधा/एसएए बालगृह (बालिका) मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. में रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पण बालक का मामला होने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी इसका विवरण बाल खोज/संबंधित वेब-पोर्टल पर अपलोड करेगा।


किशोर न्याय(बालकों के देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2(14) की उपधारा के अंतर्गत बालक को देखरेख एवं संरक्षण वाला घोषित किया जाता है।
तारीख 28.05.2024


श्रीमती मंजू जैन
सदस्य

बाल कल्याण समिति
जिला-कोरिया (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई जिला कोरिया को आदेशित किया जाता है कि बालिका कु. सुजीता सिंह को शक्ति सदन बैकुण्ठपुर से बालिकागृह अम्बिकापुर के देखरेख में सुपुर्द करना सुनिश्चित करें।
2. कार्यक्रम समन्वयक चाईल्ड लाईन सर्विस जिला कोरिया को सूचनार्थ।
3. प्रबंधक शक्ति सदन बैकुण्ठपुर जिला कोरिया को सूचनार्थ।
4. पालक सुरीत सिंह (पिता) पता तामडांड को सूचनार्थ।


श्रीमती मंजू जैन
सदस्य
बाल कल्याण समिति
जिला-कोरिया (छ.ग.)

xvi-(a)-212

पुलिस हिन्दी

फार्म नं. 1

पृष्ठ क्रमांक

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under SEC- 154 Cr.P.C.)

1. जिला- कोरबा थाना-पसान चौकी- कोरबी वर्ष-2024 प्र.सू.प.क्र.- 00/2024 दिनांक-05.04.2024
2. (1) विधान भादवि। धाराएं.....363.....
- (2) विधान..... धाराएं.....
- (3) विधान..... धाराएं.....
- (4) अन्य विधान एवं धाराएं.....
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क.....
- (ब) घटना का दिन- गुरुवार दिनांक - 04.04.2024 के करीबन 10:00 बजे ।
- (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक-05.04.2024 समय- 17:35 बजे रो.सा. क्र-
4. सूचना का प्रकार : लिखित/मौखिक
5. घटना स्थल (अ) थाने से दिशा व दूरी - पश्चिम 10 कि.मी. लगभग
- (ब) घटना स्थल का पता - ग्राम जल्के तिलई कुन्डी चौकी कोरबी थाना पसान जिला कोरबा छ0ग0।

स्थान बीट नं.....

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना.....जिला.....

6. अभियोगी / सूचनाकर्ता (अ) नाम- बृजलाल ओरकेरा चौकी कोरबी थाना पसान जिला कोरबा छ.ग.।
- (ब) पिता / पति / पालक का नाम- बैजू सिंह गोड
- (स) जन्म दिनांक / वर्ष- 26 वर्ष (ड) राष्ट्रीयता- भारतीय
- (द) पासपोर्ट नं.....जारी दिनांक.....जारी होने का स्थान.....
- (क) व्यवसाय- रोजी मजदूरी (ख) पता - ग्राम जल्के तिलई कुन्डी चौकी कोरबी थाना पसान जिला कोरबा छ.ग.। मो.नं. 7806068302

ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

संदेही - समय लाल उर्फ पप्पू कुर्रे ग्राम सिंघत थाना खडगंवा जिला कोरिया छ.ग.

8. अभियोगी / सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जो में विलम्ब का कारण - पता तलास करने के कारण

9. अपहृत / सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण :

10. अपहृत / सम्बद्ध संपत्ति का कुल मूल्य.

11. मर्ग / अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो).....


12.-प्रथम सूचना विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें।) - मैं ग्राम जल्के तिलई कुन्डी चौकी कोरबी में रहता हूँ। रोजी मजदूरी का काम करता हूँ। दिनांक 04.04.2024 को मेरी नबालिंग बडी साली उम्र 14 वर्ष की है जो वर्तमान में कक्षा 08 वी तक पढाई की है। जो परीक्षा होने के बाद दिनांक 02.04.2024 को अपनी दीदी के पास आयी थी। जो दिनांक 04.04.2024 को महुआ बिनने गोदइया खार हम लोगो के साथ गई थी कि करीबन 10 बजे नही दिखाई दी तो हम लोग घर आकर देखे तो घर में नही थी तो मैं गांव में पता किया तो गांव का राम प्रसाद बताया की एक व्यक्ति के साथ मोटर सायकिल में बैठ कर पिपरीया तरफ गई है। तब मैं अपने ससुराल में पता किया जो वहां भी नही पहुँची थी आस पास रिस्तेदारी में पता किये जो कोई पता नही चला ससुर सूरीत सिंह गोड द्वारा सिंघत निवासी समय लाल कुर्रे पर संदेह होना बताया। मेरी नबालिंग साली को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। मैं अपनी रिपोर्ट पढवाकर सुना जैसा बताया हूँ वैसा लिखा गया है।


प्रारूप 24
(नियम 19 (22))
अभ्यर्पण का विलेख

बालक अथवा बालकों को अभ्यर्पित करने के लिए व्यक्ति की घोषणा

मामला संख्या / 2024

कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 363 भादवि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा स्वतः को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना.....जिला.....को स्थानांतरित किया गया या द.प्र.सं. की धारा 154 "ब" के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र.सू.पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया। इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी।


अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा


हस्ताक्षर चौकी प्रभारी कोरबी
(नाम)- अफसर हुसैन खान
(पद)- सहा.उप निरी.
थाना पसान जिला कोरबा

प्रति,

माननीय न्यायालय- श्रीमान जेएमएफसी महोदय, कटघोरा की ओर सूचनार्थ।

प्रारूप 24

(नियम 19 (22))


अभ्यर्पण का विलेख

बालक अथवा बालकों को अभ्यर्पित करने के लिए व्यक्ति की घोषणा

मामला संख्या / 2024

मै/हम सुरीत सिंह निवासी ग्राम तामडांड थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ0ग0 कारणों से पालन पोषण करने में असमर्थ वर्ष के बालक (नाम) सुजीता सिंह जिसकी जन्म की तारीख 28.05.2024 है, को अभ्यर्पित करते हैं।

- (ii) मै/हम अपने बालक अथवा बच्चों को अपनी ओर से बगैर किसी जबरदस्ती, दबाव धमकी, भुगतान, विचार, की प्रकार के मुआवजे के अभ्यर्पित कर रहा हूँ/रहे हैं।
 - (iii) मुझे/हमें विवक्षा के बारे में परामर्श दिया गया है और यह जानकारी दी गई है कि मैं/हम इस अभ्यर्पण विलेख के 60वें दिन तक अपनी सहमति वापिस ले सकता हूँ/सकते हैं, जिसके बाद मेरी/हमारी सहमति अपरिवर्तनीय होगी और मेरा/हमारा बालक/बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा।
 - (iv) मुझे/हमें अभ्यर्पण विलेख की विवक्षाओं के बारे में जानकारी दे दी गई है और इस तथ्य की जानकारी है कि अभ्यर्पण विलेख की तारीख से 60वें दिन के बाद, मेरे/हमारे बालक अथवा बच्चों के बीच मेरे/हमारे कानूनी माता-पिता बालक के संबंध में समाप्त कर दिए जाएंगे।
 - (v) मै/हम समझता हूँ/समझते हैं कि हमारे बालक का दत्तक ग्रहण भारत में अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किया जाए और इस प्रयोजन हेतु उन्हें मेरी/हमारी सहमति दो जाए।
 - (vi) मै/हम समझता हूँ/समझते हैं कि मेरे/हमारे बालक का दत्तक ग्रहण के दत्तक ग्राही माता-पिता(ओं) के साथ स्थायी माता-पिता संबंध स्थापित होंगे और बालक को वापिस लेने का दावा नहीं किया जा सकता है।
 - (vii) मै/हम चाहता हूँ/चाहते हैं/नहीं चाहता हूँ/नहीं चाहते हैं (कृपया जो प्रयोज्य हो, उस पर \surd (सही) का निशान लगाएं) अपनी पहचान नहीं चाहता हूँ/चाहते हैं और जब हमारा बालक मूल खोज के लिए लौटता है तो उसे मेरा/हमारा पता न बताया जाए।
 - (viii) मै/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उन्हें पूरी तरह समझ गए हैं।
- बाल कल्याण समिति कोरिया में किया गया।



(अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति(यों)
के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

क्रमशः

D:\CWC\KORLA\CG\ADOPTION\FORM 24 ABHYARPAN VILEKH.doc

श्री मनीष कर्मा
अध्यक्ष
बालक कल्याण समिति
जिला-कोरबा (छ.ग.)

// 2 //

2. साक्षी द्वारा घोषणा
हम अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अभ्यर्पण के लिए गवाही दी है।

(क) पहले साक्षी के हस्ताक्षर, नाम और पता
प्रेम लाल पिता सीता राम उम्र 60 वर्ष
ग्राम करवा थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग.

प्रेमलाल

(ख) दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता
शंकर सिंह पिता सोमार साय उम्र 65 वर्ष
ग्राम पंचायत तामडांड थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग.

शंकर सिंह

3. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति तथा साक्षी (नाम) अथवा पहचान किए इस तारीख
मेरे समक्ष उपस्थित हुए और इस दस्तावेज को मेरी उपस्थिति में हमें हस्ताक्षरित किया।



बालक कल्याण समिति जिला कोरबा (छ.ग.)

(किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 (9) अंतर्गत समिति को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की प्रदत्त शक्ति
कार्यालय पता:- किशोर न्याय बोर्ड भवन तहसील रोड, नया जिला परिवहन कार्यालय के पास कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

Email id:-cwckorba@gmail.com

श्री मनीष शर्मा (अध्यक्ष) मो.नं 93402-49096


पत्र.क्र./ 43/बाकस/2024-25

कोरबा, दिनांक 21/04/2024

प्राख्य 19

[नियम 18(8),19(7)]

बालिका को माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखने के लिए
(पर्यवेक्षण आदेश)



PI-2024 का मामला संख्या

बालिका कु सुजीला मरावी के संबंध में

तारीख 12/04/2024 को पाया गया है कि बालिका कु सुजीला मरावी, उम्र - 13 वर्ष 08 माह (लगभग) को

देखरेख की आवश्यकता है तथा माता/पिता/अभिभावक श्री बृजलाल ओरकेरा (जीजा) पिता श्री बेचु सिंह निवासी - ग्राम जलके तेलई कुन्डी, चौकी - कोरबी जिला कोरबा (छ.ग.) के द्वारा प्रतिज्ञा पत्र भरने पर पर्यवेक्षण में रखा जाता है। और समिति संतुष्ट है कि बालिका को उसके पर्यवेक्षण में रखने संबंधी आदेश जारी करना हितकर होगा। बालिका को बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के कारण आदेश दिये जाते हैं कि कथित बालिका कु सुजीला मरावी, उम्र - 13-वर्ष 08 माह (लगभग) को 13/05/2024 माह (अवधि) के लिए, माता/पिता/अभिभावक श्री बृजलाल ओरकेरा (जीजा) पिता श्री बेचु सिंह, निवासी - ग्राम जलके तेलई कुन्डी, चौकी - कोरबी जिला कोरबा (छ.ग.) के पर्यवेक्षण में रखा जाए। इसके लिए निम्न शर्तें होंगी-

- आवश्यक होने पर प्रतिज्ञा-पत्र भरने वाला कथित व्यक्ति समिति को बालिका के साथ-साथ आदेश और भरे गये प्रतिज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।
- बालिका कु सुजीला मरावी 13/05/2024 तक की अवधि के लिए पर्यवेक्षण आदेश पर रहेगी।
- बालिका को समिति की अनुमति के बिना जिला अधिकार क्षेत्र (कोरबा) को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- बालिका नियमित तौर पर विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर जाएगी। बालिका नियमित तौर पर विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर विद्या/प्रशिक्षण प्राप्त करेगी।
- बालिका का देखभाल करने वाला व्यक्ति बालिका की उचित देखभाल शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा।
- बालिका को अवांछित तत्वों से मेल जोल बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी तथा उसे कानून के विरुद्ध कोई भी काम करने से रोका जाएगा।
- बालिका को किसी नशीले पदार्थ या मादक द्रव्यों के उपयोग से बचा के रखना होगा।
- उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के लिए समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुसरण करना होगा।

तारीख : 21/4/24



पृ.क्र./ 44/बाकस/2024-25

प्रतिलिपि :-

01. जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. चौकी प्रभारी कोरबी जिला कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रभारी अधीक्षिका बालिका गृह जिला कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

श्री मनीष शर्मा

अध्यक्ष
बालक कल्याण समिति कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक 21/04/2024
जिला-कोरबा (छ.ग.)

श्री मनीष शर्मा
अध्यक्ष

बालक कल्याण समिति
जिला-कोरबा (छ.ग.)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (ज़िला): कोरिया P.S. (थाना): बैकुण्ठपुर Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0234 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 15/07/2024 16:45
Sections (धारा(एँ))
- | S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1 | भा द स 1860 | 363 |
| 2 | भा द स 1860 | 366 |
| 3 | भा द स 1860 | 376 (2)(n) |
| 4 | लैंगिक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम, 2012 | 4 |
| 5 | लैंगिक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम, 2012 | 6 |
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 19/04/2024 Date To (दिनांक तक): 27/05/2024
Time Period (समय अवधि):
Time To (समय तक): 23:00 बजे Time From (समय से): 16:00 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 15/07/2024 Time (समय): 16:45 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002
Date & Time (दिनांक और समय): 15/07/2024 16:45 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 40 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): ग्राम तामडाड़ चौकी पोडी बचरा
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):
District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुजीला

(b) Father's Name (पिता का नाम):

श्री सुरीत सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 18/07/2010

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम तामडाड,वैकुण्ठपुर,कोरिया,छत्तीसगढ़,भारत
2	स्थायी पता	ग्राम तामडाड,वैकुण्ठपुर,कोरिया,छत्तीसगढ़,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-6266376890

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अजात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हो तो सख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	समय लाल हरिजन			1. ग्राम सिघत,झगराखड,मनेदगढ-चिरमिरी-भरतपुर,छत्तीसगढ़,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

आरोपी द्वारा किसी को कुछ मत बताना कह कर बहका देने से

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मै ग्राम तामडाड चौकी पोड़ी बचरा में रहती हूं समयलाल के द्वारा मुझे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर अनुपपुर ले जाकर कई बार जबरन बलात्कार कर गर्भवती कराने के संबंध एक लिखित आवेदन पेश कर रही हूं नकल आवेदन पत्र जैल है. प्रति,थाना प्रभारी महोदय,थाना वैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ0ग0विषय समयलाल के द्वारा मुझे बहला

सी.आर.बी.
जाँच फार्म -1)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जाँच फार्म -1)

फुसलाकर अपने साथ भगा कर अनुपपुर ले जाकर कई बार जबरन बलात्कार कर गर्भवती कराने के संबंध में कार्यवाही चाहने के संबंध में महोदय, निवेदन है कि मे कुमारी सुजीला पिता श्री सुरीत सिंह जाति गोंड उम 14 वर्ष ग्राम तामडांड की निवासी हूँ। ग्राम सिघत का समयलाल हरिजन का परिचय मेरे पापा से होने के कारण समयलाल मेरे घर आता जाता था। पिछले वर्ष से मोबाईल से समयलाल से मेरा बात चीत होने लगा उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे दिनांक 04.04.2024 को मैं अपनी टीटी सोनिया के ससुराल जलकी में महुआ वीन रही थी। वही पर समयलाल मोटर सायकल से आकर मुझे शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा कर अपने घर सिघत ले जाकर दो दिन रखा था मेरे पिताजी मेरे गुमने की सूचना पुलिस चौकी कोरबी में दिये थे इसलिये पुलिस वाले मुझे अपने साथ ले जाकर पुछताछ करके मुझे मेरे पिता के साथ वापस घर भेज दिये थे। दिनांक 19.04.2024 को जब मेरे माता-पिता घर में नहीं थे तब मुझे पता करते-करते समयलाल मेरे घर आकर मुझे शादी करूंगा मेरे साथ चल कहकर वहलाया फुसलाया तब मैं उसकी बातों में आकर घर से बिना बताये घर से पैदल करीब आधा कि०मी० गयी। फिर समयलाल के मोटर सायकल में बैठ कर उसके घर सिघत गये। समयलाल 05 मिनट के लिये घर में घुसा फिर मुझे उसी मोटर सायकल में बैठाकर अनुपपुर ले गया और किराया का मकान लेकर करीब एक माह तक अपने साथ रखकर शादी का झांसा देते हुये मेरे साथ अनेको बार जबरन बलात्कार किया। दिनांक 27.05.2024 को मैं घर जाने की जिद करने लगी तब किसी को कुछ मत बताना कहकर समय लाल मुझे मोटर सायकल में बैठाकर बैकुण्ठपुर लाया और मुझसे बहकाकर मेरे माता-पिता के विरुद्ध कलेक्टर साहब के पास शिकायत कराकर भाग गया। कलेक्टर साहब मुझे सीडब्लूसी बैकुण्ठपुर में भेजवा दिये जहां पुछताछ एव मेरे मेडिकल चेकप पर मैं गर्भवती निकली अभी वर्तमान में मैं सखी सेन्टर बैकुण्ठपुर में रह रही हूँ। मैं समयलाल के बहकावे में आकर उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोल रही थी। अब सबके समझाने पर मुझे सही गलत का पहचान हो गया है। समय लाल ही मुझे शादी का झांसा देकर वहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर अनुपपुर ले गया एव किराये के मकान में रखकर कई बार मेरे साथ जबरन बलात्कार किया है। जिसे मैं गर्भवती हो गयी हूँ। अतः निवेदन है कि मेरा रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 15.07.2024 प्रार्थिया कुमारी सुजीला पिता सुरीत सिंह ग्राम तामडांड

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): RAJESH TIWARI
Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No.(सं.):

to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इकार किया या)


(4) Transferred to P.S.(थाना):
District (ज़िला):

N.C.R.B (एन.सी.आर.वी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .


F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)



14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



Signature of Officer in charge, Police
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sunita Ekka

Rank(पद): HC (Head Constable)

No.(सं.): 179